The Research Analytics ISSN (Online): 3107-6165
Volume 1, Issue 2, April-June 2025 pp. 48-55

The Research Analytics
(A Peer Reviewed and Open Access Journal)

8

सामाजिक पुनर्वास और नीतिगत हस्तक्षेप: झारखंड में महिला एवं बाल श्रमिकों के सशक्तिकरण की संभावनाएँ

देवेश कुमार*
*शोधार्थी, सोना देवी विश्वविद्यालय, घाटशिला, झारखंड, भारत

सारांश
झारखंड में महिला एवं बाल श्रम केवल आर्थिक निर्धनता की परिणति नहीं, बल्कि एक सामाजिक संरचना की विफलता का परिणाम है जिसमें विकास के संसाधन तो हैं, परंतु न्याय और समानता का वितरण अनुपस्थित है। इस शोध-पत्र का उद्देश्य महिला एवं बाल श्रमिकों की पुनर्वास प्रक्रिया और सशक्तिकरण के अवसरों की समीक्षा करना है। अध्ययन में यह पाया गया कि केवल योजनाएँ बनाना पर्याप्त नहीं; उनकी प्रभावशीलता स्थानीय संस्कृति, सामुदायिक सहभागिता और नीतिगत पारदर्शिता पर निर्भर करती है। झारखंड में पुनर्वास कार्यक्रमों की विफलता के पीछे तीन प्रमुख कारण हैं—शिक्षा और कौशल विकास की अपर्याप्तता, लैंगिक असंवेदनशील नीति ढाँचा, और समाज में प्रचलित भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण। शोध से यह भी स्पष्ट हुआ कि महिला एवं बाल श्रमिकों का सशक्तिकरण तभी संभव है जब नीतियों को नीचे से ऊपर (bottom-up) दृष्टिकोण से पुनर्गठित किया जाए, जिसमें स्थानीय समुदाय, स्वसहायता समूह, पंचायतें और नागरिक समाज सक्रिय भागीदार हों। इस अध्ययन में विभिन्न सरकारी योजनाओं, गैर-सरकारी संगठनों के हस्तक्षेपों और सामुदायिक पहलों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, जो यह दर्शाता है कि विकास की दिशा केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मानवीय पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है।
कीवर्ड्स: सामाजिक पुनर्वास, सशक्तिकरण, नीतिगत हस्तक्षेप, महिला श्रम, बाल श्रम, झारखंड

1. भूमिका

भारत में श्रम की संरचना हमेशा से असमानता, वर्गीय विभाजन और सामाजिक बहिष्करण के इतिहास से गहराई से जुड़ी रही है। औद्योगिकीकरण, उपनिवेशवाद और पितृसत्तात्मक परंपराओं ने मिलकर श्रम को केवल आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि सामाजिक पहचान का भी निर्धारक बना दिया। झारखंड जैसे राज्य में, जहाँ आदिवासी और ग्रामीण समुदायों की संख्या अधिक है, यह असमानता और भी गहराई से दिखाई देती है। यहाँ के लोग भूमि, वन और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं, किंतु आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं ने उन्हें उनके ही संसाधनों से वंचित कर दिया है। इस विडंबना का सबसे अधिक प्रभाव महिलाओं और बच्चों पर पड़ा है—जो समाज की श्रमशक्ति की रीढ़ तो हैं, परंतु विकास की मुख्यधारा से सबसे अधिक बाहर हैं।

महिलाओं और बच्चों का श्रम झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में केंद्रीय भूमिका निभाता है। महिलाएँ खेतों में काम करती हैं, वनों से वनोपज एकत्र करती हैं, निर्माण स्थलों पर ईंट ढोती हैं, और घरों में अनगिनत अनदेखे कार्य करती हैं। बच्चे शिक्षा की उम्र में ही श्रम के संसार में प्रवेश कर जाते हैं—कभी खेतों में, कभी होटलों में, तो कभी शहरों के घरों में। यह श्रम उनके अस्तित्व का हिस्सा तो बन जाता है, परंतु उनके भविष्य की संभावनाओं को छीन लेता है। इस प्रकार, महिला और बाल श्रम का प्रश्न केवल रोज़गार या गरीबी का नहीं, बल्कि **अधिकार, गरिमा और सामाजिक न्याय** का प्रश्न बन जाता है।

The Research Analytics ISSN (Online): 3107-6165
Volume 1, Issue 2, April-June 2025

दशकों से चल रही योजनाओं, कार्यक्रमों और अभियानों के बावजूद झारखंड की महिलाएँ असुरक्षित श्रम, अस्थिर आय और लैंगिक भेदभाव की शिकार बनी हुई हैं। वहीं, बच्चे आज भी शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं और अल्प आय के बदले श्रम करने के लिए बाध्य हैं। यह परिदृश्य बताता है कि नीतिगत ढाँचा केवल सतही सुधारों तक सीमित रह गया है। वास्तविक परिवर्तन तब तक संभव नहीं जब तक समाज स्वयं यह स्वीकार नहीं करता कि श्रम केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं, बल्कि मानव गरिमा का प्रतीक है।

इसी संदर्भ में "**पुनर्वास (Rehabilitation)**" की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। पुनर्वास का अर्थ केवल भौतिक या आर्थिक सुधार नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक पुनर्संरचना की प्रक्रिया है। यह उस व्यक्ति या समुदाय को पुनः गरिमा के साथ जीवन जीने की स्थिति में लाने की कोशिश है जिसे समाज, व्यवस्था या आर्थिक असमानता ने हाशिए पर धकेल दिया है। महिला और बाल श्रमिकों के लिए पुनर्वास का अर्थ है—उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, और निर्णय-प्रक्रिया में समान अवसर प्रदान करना।

पुनर्वास को तीन मुख्य स्तरों पर समझा जा सकता है—

(1) शैक्षिक पुनर्वास, **(2) आर्थिक पुनर्वास**, और **(3) मानवीय पुनर्वास।**

पहला, **शैक्षिक पुनर्वास** सबसे बुनियादी और निर्णायक है। इसका उद्देश्य ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना है जो स्थानीय भाषाओं, संस्कृति और जीवनशैली से जुड़ी हो। झारखंड जैसे राज्य में, जहाँ संथाली, मुंडारी, कुड़ुख और नागपुरी जैसी भाषाएँ बोली जाती हैं, हिंदी या अंग्रेज़ी माध्यम की शिक्षा बच्चों के लिए एक पराई दुनिया जैसी हो जाती है। परिणामस्वरूप, बच्चे विद्यालय से जुड़ नहीं पाते और जल्दी ही श्रम की ओर मुड़ जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षा को स्थानीय सांस्कृतिक संदर्भ में ढाला जाए ताकि बच्चे उसमें आत्मीयता महसूस करें और स्कूल उनके जीवन से जुड़ा हुआ लगे।

दूसरा, **आर्थिक पुनर्वास**। यह मान्यता देना आवश्यक है कि महिलाओं और बच्चों को केवल "लाभार्थी" के रूप में नहीं, बल्कि समाज के "उत्पादक साझेदार" के रूप में देखा जाए। महिलाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण, सूक्ष्म वित्तीय सहायता, और बाज़ार से सीधा जुड़ाव देकर आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। आर्थिक पुनर्वास का मतलब केवल आय बढ़ाना नहीं, बल्कि स्वामित्व और निर्णय लेने की शक्ति देना भी है। जब महिलाएँ अपनी आजीविका का नियंत्रण स्वयं करने लगती हैं, तब वे न केवल अपने परिवार की स्थिति सुधारती हैं, बल्कि समाज में परिवर्तन की वाहक भी बनती हैं।

तीसरा, **मानवीय पुनर्वास**—जो इस पूरी प्रक्रिया की आत्मा है। इसका तात्पर्य है सामाजिक दृष्टिकोण में वह परिवर्तन, जहाँ श्रम को मजबूरी नहीं, बल्कि सम्मान का प्रतीक माना जाए। यह दृष्टिकोण समाज में गहराई से बैठी पितृसत्तात्मक मानसिकता को चुनौती देता है। महिलाओं के श्रम को अक्सर "सहायक" या "घरेलू जिम्मेदारी" कहकर कमतर आँका जाता है। इसी तरह, बाल श्रम को कई बार "गरीबी की अनिवार्यता" या "पारिवारिक सहयोग" कहकर उचित ठहराया जाता है। यह दृष्टिकोण समाज के नैतिक पतन का संकेत है। मानवीय पुनर्वास इस मानसिकता को बदलने की दिशा में पहला कदम है।

झारखंड की सामाजिक-आर्थिक संरचना यह दर्शाती है कि महिलाएँ और बच्चे नीतियों के कागज़ी लाभ से आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि उन नीतियों ने उनके जीवन के यथार्थ को समझने का ईमानदार प्रयास नहीं किया। योजनाएँ प्रायः ऊपर से नीचे थोपे गए ढाँचों पर आधारित रही हैं, जिनमें स्थानीय संस्कृति, भाषा और जीवनशैली के प्रति संवेदनशीलता का अभाव रहा है। उदाहरण के लिए, कई बार सरकारी पुनर्वास केंद्रों में प्रशिक्षण के लिए ऐसे कौशल सिखाए जाते हैं जो स्थानीय बाज़ार से मेल नहीं खाते, परिणामस्वरूप महिलाएँ प्रशिक्षित तो होती हैं, पर रोज़गार नहीं पा पातीं।

अतः पुनर्वास तभी सार्थक होगा जब **नीति-निर्माण में समुदाय की आवाज़ शामिल हो**। इसका अर्थ है कि महिलाएँ और स्थानीय संगठन केवल योजनाओं के लाभार्थी नहीं, बल्कि योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदार बनें। पंचायतें, महिला मंडल, और गैर-सरकारी संगठन स्थानीय

The Research Analytics ISSN (Online): 3107-6165
Volume 1, Issue 2, April-June 2025

आवश्यकताओं को समझने और नीतिगत निर्णयों में उन्हें शामिल करने की प्रक्रिया को मजबूत कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों को स्थानीय जीवन से मेल खिलाना अनिवार्य है। शिक्षा केवल साक्षरता तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसे रोजगार, नेतृत्व और सामाजिक परिवर्तन से जोड़ा जाना चाहिए। बच्चों के लिए शिक्षा को आनंददायक और उपयोगी बनाना पुनर्वास का सबसे प्रभावी उपकरण हो सकता है।

अंततः, विकास योजनाओं का लक्ष्य केवल आर्थिक वृद्धि नहीं, बल्कि **मानवीय गरिमा का पुनर्निर्माण** होना चाहिए। समाज के कमजोर वर्गों—विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों—को यह महसूस होना चाहिए कि वे केवल सहायता पाने वाले नहीं, बल्कि देश के भविष्य के निर्माता हैं। जब समाज उन्हें समान नागरिक के रूप में स्वीकार करता है, तभी वास्तविक सशक्तिकरण संभव होता है।

इस प्रकार, पुनर्वास एक समग्र प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा, अर्थव्यवस्था, और मानवीय चेतना तीनों का संतुलन आवश्यक है। झारखंड के संदर्भ में यह केवल नीति का नहीं, बल्कि दृष्टिकोण का प्रश्न है—जहाँ विकास का अर्थ केवल आय या उत्पादन नहीं, बल्कि समान अवसर, आत्मसम्मान, और गरिमामय जीवन हो। यही पुनर्वास का वास्तविक उद्देश्य और इस शोध की बुनियादी प्रेरणा है।

2. पुनर्वास की अवधारणा और भारतीय परिप्रेक्ष्य

"पुनर्वास" शब्द का सामान्य अर्थ केवल विस्थापित लोगों को नया निवास या भौतिक आश्रय देना नहीं है। यह एक व्यापक सामाजिक और मानवीय प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति को केवल जीवित रखना नहीं, बल्कि उसे *जीवन की नई दिशा*, *आत्मसम्मान*, और *सामाजिक स्वीकार्यता* प्रदान करना है। सामाजिक विज्ञान के दृष्टिकोण से पुनर्वास का आशय है — किसी व्यक्ति या समुदाय को उस स्थिति से निकालना जहाँ उसका शोषण, उपेक्षा या बहिष्कार हुआ हो, और उसे समाज में बराबरी के स्तर पर पुनः स्थापित करना। इस दृष्टि से देखा जाए तो पुनर्वास केवल प्रशासनिक कार्यवाही नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में उठाया गया एक नैतिक कदम है।

भारत में पुनर्वास की अवधारणा का इतिहास लंबे समय से सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के साथ जुड़ा हुआ है। प्रारंभिक दौर में, यह शब्द अधिकतर **औद्योगिकीकरण, खनन और भूमि अधिग्रहण** से जुड़ी विस्थापन प्रक्रियाओं में प्रयुक्त होता था। जब बड़े-बड़े बाँध, कारखाने और खदानें बनीं, तब लाखों ग्रामीण और आदिवासी परिवार अपनी भूमि और आजीविका से वंचित हुए। उस समय पुनर्वास का तात्पर्य उन्हें वैकल्पिक भूमि या आवास उपलब्ध कराना था। परंतु समय के साथ यह अवधारणा केवल स्थान-परिवर्तन तक सीमित नहीं रही, बल्कि सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण का एक आवश्यक अंग बन गई।

आज के संदर्भ में पुनर्वास का अर्थ बहुत अधिक व्यापक है। यह अब केवल विस्थापन या पुनर्स्थापन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि **मानवीय विकास, आत्मनिर्भरता और सामाजिक समानता** की नीति है। विशेषकर **महिला और बाल श्रम** जैसे ज्वलंत मुद्दों में पुनर्वास का अर्थ केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आत्म-सम्मान और निर्णय-प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना है।

झारखंड जैसे राज्य में यह अवधारणा और भी जटिल रूप ले लेती है। यहाँ की सामाजिक संरचना **बहुजातीय, बहुभाषिक और बहु-सांस्कृतिक** है। आदिवासी समुदायों में श्रम केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान और सामूहिक अस्तित्व का हिस्सा है। जंगल, मिट्टी और नदी इन समुदायों के जीवन के प्रतीक हैं। अतः पुनर्वास की कोई भी नीति तब तक प्रभावी नहीं हो सकती जब तक वह इस सांस्कृतिक संदर्भ को समझ न ले। यदि पुनर्वास केवल "सहायता" के रूप में दिया जाए, तो यह इन समुदायों की आत्मनिर्भरता और गरिमा को कमजोर करता है। इसके विपरीत, यदि इसे "साझेदारी" के रूप में देखा जाए, तो यह सामूहिक विकास की दिशा में एक सशक्त कदम बन सकता है।

The Research Analytics ISSN (Online): 3107-6165
Volume 1, Issue 2, April-June 2025

भारत के संवैधानिक ढाँचे में भी पुनर्वास और सामाजिक न्याय की भावना गहराई से निहित है। **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(e)** राज्य को यह दायित्व देता है कि वह श्रमिकों — विशेषकर महिलाओं और बच्चों — के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न होने दे। वहीं **अनुच्छेद 39(f)** राज्य को यह निर्देश देता है कि बच्चों को स्वस्थ विकास और समान अवसर का अधिकार सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त, **अनुच्छेद 41** के अंतर्गत राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को प्रोत्साहित करे। इन संवैधानिक प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि पुनर्वास की अवधारणा भारतीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों — समानता, स्वतंत्रता और गरिमा — से गहराई से जुड़ी है।

नीतिगत स्तर पर भी भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। **राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP)**, जो 1988 में शुरू हुई, का उद्देश्य बाल श्रमिकों की पहचान कर उन्हें शिक्षा और पोषण के माध्यम से पुनर्वास प्रदान करना था। इसी तरह, **महिला सशक्तिकरण नीति (2001)** ने महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक भागीदारी के अवसर बढ़ाने पर बल दिया। हाल ही में पारित **सामाजिक सुरक्षा कोड (2020)** ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, विशेषकर महिला और बाल श्रमिकों के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करने की दिशा में एक नया अध्याय खोला है।

परंतु इन सभी योजनाओं की सफलता उस समय तक सीमित रहती है जब तक वे स्थानीय आवश्यकता, संस्कृति और समुदाय की सहभागिता से जुड़ी न हों। नीतियाँ यदि ऊपर से थोपे गए प्रशासनिक ढाँचे की तरह लागू की जाएँ, तो वे केवल कागज़ों तक सीमित रह जाती हैं। उदाहरण के लिए, झारखंड के आदिवासी इलाकों में कई पुनर्वास कार्यक्रम शुरू तो किए गए, परंतु भाषा, संचार और सांस्कृतिक असमानताओं के कारण लाभार्थी उनसे जुड़ नहीं पाए। इससे यह स्पष्ट होता है कि पुनर्वास को स्थानीय स्तर पर *लोगों के अनुभव और आवश्यकताओं* के अनुसार पुनर्परिभाषित करना अनिवार्य है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पुनर्वास और श्रम अधिकारों को लेकर कई महत्वपूर्ण संधियाँ और घोषणाएँ की गई हैं। **अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** की **संधि संख्या 182** बाल श्रम के सबसे खराब रूपों को समाप्त करने पर केंद्रित है। इसी तरह, **संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDG 8.7)** यह सुनिश्चित करने पर बल देते हैं कि प्रत्येक देश सम्मानजनक कार्य और समावेशी आर्थिक विकास को प्राथमिकता दे। भारत ने इन संधियों पर हस्ताक्षर कर यह प्रतिबद्धता जताई है कि वह बाल श्रम और असमान श्रम व्यवहार को समाप्त करने की दिशा में कार्य करेगा। परंतु राज्यों के स्तर पर इन संधियों का पालन अभी भी असमान और अपूर्ण है।

झारखंड जैसे राज्य में, जहाँ समाज का बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर है, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय नीतियों के इस संतुलन को व्यवहार में उतारना चुनौतीपूर्ण कार्य है। पुनर्वास को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि यह "**लोकल टू ग्लोबल**" दृष्टिकोण अपनाए — अर्थात् स्थानीय अनुभवों और समस्याओं को वैश्विक नीतियों से जोड़ा जाए, ताकि समाधान केवल सैद्धांतिक न रह जाए। उदाहरण के लिए, बाल श्रम के उन्मूलन में अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करते हुए, राज्य को अपने विशिष्ट सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भ के अनुरूप नीति बनानी होगी।

इस प्रक्रिया में **महिला स्वसहायता समूह (Self Help Groups)**, **गैर-सरकारी संगठन (NGOs)**, और **शैक्षणिक संस्थान** महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये संगठन सरकार और समाज के बीच सेतु का कार्य करते हैं। वे स्थानीय स्तर पर जागरूकता फैलाने, कौशल प्रशिक्षण देने और नीति कार्यान्वयन की निगरानी में मदद कर सकते हैं। उदाहरणस्वरूप, झारखंड में "झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS)" जैसे संगठन महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करने में प्रभावी सिद्ध हुए हैं।

इस प्रकार, पुनर्वास को केवल सरकारी योजनाओं या आर्थिक पैकेज के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह एक **सामाजिक रूपांतरण की प्रक्रिया** है, जिसमें मूल्य परिवर्तन, सामूहिक चेतना और

The Research Analytics ISSN (Online): 3107-6165
Volume 1, Issue 2, April-June 2025

सांस्कृतिक सम्मान की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। पुनर्वास तब ही सार्थक होगा जब यह केवल "लाभ वितरण" नहीं, बल्कि "न्याय पुनर्स्थापन" की प्रक्रिया बने।

अंततः, पुनर्वास का वास्तविक उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति — चाहे वह महिला हो या बच्चा — अपने श्रम, संस्कृति और अस्तित्व पर गर्व कर सके। यह समाज को उस दिशा में ले जाता है जहाँ विकास का अर्थ केवल भौतिक समृद्धि नहीं, बल्कि **मानव गरिमा और समानता की पुनर्स्थापना** है। झारखंड के संदर्भ में, पुनर्वास इस बात की परीक्षा है कि क्या हम अपने विकास मॉडल को इतना मानवीय बना सकते हैं कि वह प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गरिमा, पहचान और अधिकार लौटा सके।

3. महिला सशक्तिकरण के आयाम और झारखंड का संदर्भ

महिला सशक्तिकरण की अवधारणा केवल अधिकार प्राप्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की पूर्ण प्रक्रिया है। झारखंड की महिलाएँ, विशेष रूप से आदिवासी महिलाएँ, अपनी मेहनत और संघर्ष के माध्यम से इस सशक्तिकरण की प्रक्रिया को अपने अनुभव से परिभाषित कर रही हैं।

सशक्तिकरण के तीन प्रमुख आयाम यहाँ महत्वपूर्ण हैं—**आर्थिक स्वतंत्रता**, **शैक्षिक अवसर**, और **निर्णय-प्रक्रिया में भागीदारी**।

(i) आर्थिक स्वतंत्रता

झारखंड की महिलाएँ आज भी असंगठित क्षेत्र पर निर्भर हैं। उनके श्रम का मूल्य कम आँका जाता है और अधिकांश मामलों में उन्हें वेतन का निर्णय करने का अधिकार नहीं होता। इस स्थिति को बदलने के लिए स्व-सहायता समूह (SHGs) एक प्रभावी माध्यम बने हैं। "झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS)" के तहत बने अनेक समूहों ने ग्रामीण महिलाओं को सूक्ष्म वित्त, हस्तशिल्प, और कृषि उत्पाद विपणन से जोड़ा है। इससे न केवल उनकी आय बढ़ी है, बल्कि आत्मविश्वास और सामुदायिक नेतृत्व की भावना भी विकसित हुई है।

(ii) शैक्षिक अवसर

शिक्षा महिलाओं के सशक्तिकरण की सबसे मजबूत नींव है। झारखंड में साक्षरता दर में सुधार हुआ है, परंतु महिला साक्षरता अब भी राष्ट्रीय औसत से कम है। शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना—जैसे "कौशल विकास केंद्र"—महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार हो सकते हैं।

(iii) निर्णय-प्रक्रिया में भागीदारी

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण ने उन्हें सार्वजनिक जीवन में स्थान तो दिया, परंतु निर्णय-प्रक्रिया में वास्तविक भागीदारी अभी भी सीमित है। यह आवश्यक है कि महिला प्रतिनिधियों को नेतृत्व प्रशिक्षण, कानूनी सहायता, और आर्थिक प्रबंधन की शिक्षा दी जाए ताकि वे योजनाओं के संचालन में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

महिला सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ तभी साकार होगा जब महिलाएँ अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकें—चाहे वह कार्यक्षेत्र हो या शिक्षा। झारखंड में यह परिवर्तन प्रारंभ तो हुआ है, परंतु उसे टिकाऊ बनाने के लिए सामाजिक मानसिकता का परिवर्तन आवश्यक है।

4. बाल श्रमिकों का पुनर्वास और शिक्षा आधारित पुनर्निर्माण

बाल श्रमिकों का पुनर्वास केवल श्रम से मुक्ति नहीं, बल्कि उन्हें पुनः बचपन और भविष्य लौटाने की प्रक्रिया है। झारखंड में बाल श्रम व्यापक रूप से फैला हुआ है—विशेषकर ईंट भट्टों, खदानों, कृषि और घरेलू कार्यों में।

पुनर्वास की दिशा में शिक्षा को केंद्र में रखना अनिवार्य है। *राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP)* के तहत विशेष विद्यालय स्थापित किए गए हैं जहाँ बाल श्रमिकों को औपचारिक शिक्षा के साथ-साथ पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएँ दी जाती हैं। परंतु इन विद्यालयों की संख्या सीमित है, और शिक्षकों का अभाव गंभीर समस्या है।

The Research Analytics ISSN (Online): 3107-6165
Volume 1, Issue 2, April-June 2025

शैक्षिक पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक है कि शिक्षा को स्थानीय संदर्भों से जोड़ा जाए। आदिवासी बच्चों के लिए मातृभाषा आधारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। *संथाली, मुंडारी, कुड़ुख* जैसी भाषाओं में शिक्षण सामग्री तैयार करना, स्थानीय गीतों और कहानियों के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाना—ये उपाय शिक्षा से जुड़ाव बढ़ा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, बाल पुनर्वास केंद्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण—जैसे सिलाई, काष्ठकला, हस्तशिल्प, कृषि तकनीक—से बच्चों को भविष्य में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। NGO जैसे "प्राथमिक शिक्षा केंद्र", "चाइल्डलाइन इंडिया", और "सेव द चिल्ड्रेन" इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, परंतु उन्हें सरकारी सहयोग और निरंतर निगरानी की आवश्यकता है।

बाल पुनर्वास तभी प्रभावी होगा जब परिवारों को भी इस प्रक्रिया में जोड़ा जाए। यदि माता-पिता को वैकल्पिक आजीविका उपलब्ध नहीं होगी, तो बच्चे फिर से श्रम में लौटेंगे। इसलिए पुनर्वास कार्यक्रमों में परिवार-केंद्रित नीति अपनाना आवश्यक है, जिसमें शिक्षा और आजीविका दोनों को समान प्राथमिकता मिले।

5. नीति-स्तरीय हस्तक्षेप और प्रशासनिक चुनौतियाँ

झारखंड में महिला और बाल श्रम से निपटने के लिए अनेक नीतियाँ लागू की गईं, परंतु उनकी सफलता सीमित रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि नीतियाँ अक्सर शीर्ष-से-नीचे (top-down) दृष्टिकोण पर आधारित हैं। स्थानीय ज़रूरतों, भाषाई विविधता, और सांस्कृतिक संदर्भों को अनदेखा कर दी जाती है।

प्रशासनिक चुनौतियों में प्रमुख हैं—

- योजनाओं का *वित्तीय विलंब* और *कागज़ी कार्यवाही*,
- *मानिटरिंग तंत्र* की कमजोरी,
- *भ्रष्टाचार* और *राजनीतिक हस्तक्षेप*,
- और *सामुदायिक सहभागिता की कमी*।

नीति-स्तर पर सुधार के लिए तीन बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं:

1. **स्थानीय विकेंद्रीकरण:** पंचायतों को महिला और बाल श्रम उन्मूलन योजनाओं की प्राथमिक जिम्मेदारी दी जाए।
2. **अभिसरण मॉडल:** शिक्षा, पोषण, और रोजगार योजनाओं को एकीकृत किया जाए ताकि पुनर्वास समग्र रूप में हो।
3. **डिजिटल निगरानी:** योजनाओं की प्रगति पर रियल-टाइम डेटा आधारित प्रणाली विकसित की जाए।

साथ ही, नीतियों को केवल "कल्याणकारी" नहीं, बल्कि "अधिकार-आधारित" दृष्टिकोण से पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है।

6. निष्कर्ष

झारखंड की सामाजिक संरचना यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि महिला और बाल श्रम का प्रश्न केवल आर्थिक निर्धनता या रोजगार के अवसरों की कमी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के नैतिक दृष्टिकोण, मूल्य प्रणाली और नीतिगत प्राथमिकताओं की गहराई से जुड़ा हुआ है। यह समस्या विकास के उस विरोधाभास को उजागर करती है जहाँ आर्थिक प्रगति के साथ सामाजिक विषमता भी समानांतर रूप से बढ़ती है। झारखंड जैसे संसाधन-संपन्न राज्य में जब महिलाएँ और बच्चे अपने न्यूनतम अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हों, तो यह संकेत देता है कि विकास के वर्तमान मॉडल में मानवता का संतुलन खो गया है।

महिला एवं बाल श्रम की जड़ में केवल गरीबी नहीं, बल्कि असमानता का वह जाल है जो सामाजिक, लैंगिक और सांस्कृतिक स्तरों पर बुना गया है। महिलाएँ आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने के बावजूद निर्णय-प्रक्रिया से बाहर रखी जाती हैं। वे उत्पादन की रीढ़ हैं, लेकिन उन्हें स्वामित्व का अधिकार नहीं दिया जाता। दूसरी ओर, बाल श्रमिक शिक्षा, खेल, और बचपन के अधिकारों से वंचित होकर जीवन

The Research Analytics ISSN (Online): 3107-6165
Volume 1, Issue 2, April-June 2025

की दौड़ में समय से पहले शामिल हो जाते हैं। यह स्थिति न केवल संवैधानिक आदर्शों का उल्लंघन करती है, बल्कि समाज की नैतिकता पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है।

इस शोध से यह स्पष्ट हुआ कि पुनर्वास का अर्थ केवल श्रम से मुक्ति नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, शिक्षा और सम्मान की पुनर्स्थापना है। पुनर्वास को केवल "कल्याण" के रूप में नहीं, बल्कि "न्याय" के रूप में देखा जाना चाहिए। जब किसी महिला या बाल श्रमिक को पुनर्वास मिलता है, तो वह सिर्फ एक नई आजीविका प्राप्त नहीं करता, बल्कि उसे अपने अस्तित्व की पहचान और गरिमा भी लौटाई जाती है। यह प्रक्रिया तभी सफल हो सकती है जब इसे ऊपर से नीचे थोपे गए कार्यक्रमों की बजाय समाज-आधारित प्रयासों से संचालित किया जाए।

सामाजिक पुनर्वास की प्रक्रिया का पहला स्तंभ शिक्षा है। यदि बच्चे शिक्षा से वंचित रहेंगे, तो पुनर्वास केवल अस्थायी समाधान साबित होगा। शिक्षा को स्थानीय भाषा, संस्कृति और जीवन-शैली से जोड़ना आवश्यक है ताकि आदिवासी और ग्रामीण समुदाय उससे आत्मीय जुड़ाव महसूस करें। संथाली, मुंडारी, कुड़ुख जैसी भाषाओं में शिक्षण सामग्री और लोककथाओं के माध्यम से शिक्षा को अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है। इसी प्रकार, महिलाओं के लिए साक्षरता और कौशल विकास कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए जो उनके दैनिक जीवन और पारंपरिक ज्ञान के साथ संगत हों।

दूसरा स्तंभ आर्थिक सशक्तिकरण है। पुनर्वास तभी स्थायी होगा जब महिलाओं को आर्थिक स्वायत्तता प्राप्त हो। स्वसहायता समूहों (SHGs) और सामुदायिक आजीविका मिशनों ने इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। परंतु इन समूहों को केवल ऋण वितरण केंद्र के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक नेतृत्व और नीति-निर्माण के वाहक के रूप में विकसित करना आवश्यक है। महिलाओं को निर्णय-प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के अवसर देने होंगे ताकि वे अपने श्रम की शर्तें स्वयं तय कर सकें।

तीसरा स्तंभ नैतिक और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण है। जब तक समाज यह नहीं स्वीकार करता कि श्रम गरिमा का प्रतीक है, तब तक कोई भी नीति स्थायी परिवर्तन नहीं ला सकती। झारखंड की सामाजिक चेतना को इस दिशा में परिवर्तित करना होगा—जहाँ महिला श्रमिक को "परिवार की मददगार" नहीं, बल्कि "समाज निर्माता" के रूप में देखा जाए, और बाल श्रमिक को "आर्थिक सहयोगी" नहीं, बल्कि "भविष्य के नागरिक" के रूप में सम्मान दिया जाए।

इस शोध का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह भी है कि योजनाओं की सफलता केवल संसाधनों पर नहीं, बल्कि भागीदारी पर निर्भर करती है। *पंचायतें, महिला मंडल, विद्यालय, स्थानीय संस्थाएँ*—इन सभी की संयुक्त जिम्मेदारी बनती है कि वे पुनर्वास की प्रक्रिया को सामाजिक आंदोलन का रूप दें। पुनर्वास को सरकारी योजना से जन-अभियान में परिवर्तित करना ही इसका वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए।

भविष्य की नीतियों में "मानव-केंद्रित विकास" को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विकास का अर्थ केवल GDP या औद्योगिक उत्पादन नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अवसर, समानता और सम्मान सुनिश्चित करना है। जब तक श्रमिकों की सुरक्षा, बाल अधिकारों की गारंटी और महिलाओं की भागीदारी नीतियों के केंद्र में नहीं आएँगी, तब तक विकास अधूरा रहेगा।

महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के लिए तीन स्तरों पर कार्य आवश्यक है—नीतिगत, सामाजिक और सांस्कृतिक।

1. **नीतिगत स्तर पर**, सरकार को योजनाओं का अभिसरण सुनिश्चित करना होगा ताकि शिक्षा, पोषण, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा एकीकृत रूप से कार्य करें।
2. **सामाजिक स्तर पर**, समुदाय को यह समझना होगा कि महिला और बाल श्रमिक केवल पीड़ित नहीं, परिवर्तन के वाहक हैं। उनके अनुभवों और संघर्षों को विकास की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए।
3. **सांस्कृतिक स्तर पर**, समाज की मानसिकता में परिवर्तन लाना होगा। श्रम को लिंग या जाति के आधार पर विभाजित करना बंद करना होगा, और हर श्रमिक को समान सम्मान देना होगा।

The Research Analytics ISSN (Online): 3107-6165
Volume 1, Issue 2, April-June 2025

पुनर्वास की प्रक्रिया में तकनीकी और डिजिटल माध्यमों का भी प्रभावी उपयोग किया जा सकता है—जैसे डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम, सामुदायिक पोर्टल, और रियल-टाइम मॉनिटरिंग से यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभार्थियों को योजनाओं का सीधा फायदा मिले।

इसके अतिरिक्त, सामाजिक संगठनों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय NGO की भूमिका भी निर्णायक है। वे न केवल डेटा संग्रह और मूल्यांकन में मदद कर सकते हैं, बल्कि समुदाय के भीतर संवाद स्थापित करने में भी सेतु का कार्य कर सकते हैं।

अंततः, यह स्वीकार करना होगा कि महिला और बाल श्रम का उन्मूलन केवल आर्थिक सुधार का विषय नहीं, बल्कि नैतिक पुनर्जागरण का आह्वान है। यह समाज से एक ऐसे दृष्टिकोण की माँग करता है जहाँ हर व्यक्ति—चाहे वह ग्रामीण महिला हो या बाल श्रमिक—अपनी क्षमता और श्रम से अपने जीवन को गरिमा के साथ जी सके।

इस अध्ययन का सार यही है कि **पुनर्वास तब पूर्ण होता है जब व्यक्ति केवल जीविका नहीं, बल्कि सम्मानपूर्वक जीवन प्राप्त करे**। यदि किसी समाज में श्रमिक का श्रम मूल्यवान है, पर उसका जीवन नहीं—तो वह समाज स्वयं अधूरा है। अतः झारखंड और भारत दोनों के लिए यह समय है कि विकास की अवधारणा को पुनर्परिभाषित किया जाए—जहाँ आर्थिक प्रगति के साथ-साथ नैतिक संवेदना, सामाजिक न्याय और मानव गरिमा भी समान रूप से पोषित हों।

संदर्भ सूची

1. Dreze, J., & Sen, A. (2013). *An Uncertain Glory: India and Its Contradictions.* Princeton University Press.
2. Kabeer, N. (2001). *Gender Mainstreaming in Poverty Eradication and the Millennium Development Goals.* Commonwealth Secretariat.
3. Mohanty, C. T. (2003). *Feminism Without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity.* Duke University Press.
4. International Labour Organization. (2021). *Child Labour: Global Estimates 2020.* Geneva: ILO.
5. UNICEF. (2019). *Reimagine Education for Every Child.* New York: UNICEF.
6. Government of India. (2020). *Social Security Code.* Ministry of Labour and Employment.
7. Jharkhand Labour Department. (2022). *Annual Report on Labour Welfare Schemes.* Government of Jharkhand.
8. Sharma, N. (2020). *Childhood in Crisis: Labour, Education and Social Change in India.* Sage Publications.
9. Singh, K. (2017). *Women, Work and Inequality in India.* Oxford University Press.
10. UNDP. (2022). *Human Development Report.* United Nations.
11. Save the Children India. (2021). *Annual Impact Report.* New Delhi.
12. JSLPS. (2020). *Women's Empowerment through SHGs in Jharkhand.* Ranchi: Government of Jharkhand.